



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4586]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 2018/कार्तिक 29, 1940

No. 4586]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 2018/KARTIKA 29, 1940

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2018

का.आ. 5807(अ).—सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता)आदेश 2017- आदेश के अनुपालन में ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव कलपुर्जों को अधिसूचित करना।

सन्दर्भ:- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की अधिसूचना सं. पी – 45021/2/2017-बीई-II दिनांक 15.06.2017

सरकार ने 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने और आय तथा रोजगार को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारत में सामग्रियों एवं सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की अधिसूचना सं. पी- 45021/2/2017 –बी.ई.-II दिनांक 15.06.2017 के द्वारा सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 जारी किया है।

2. उपर्युक्त संदर्भ के तहत अधिसूचित सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के अनुपालन में, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (एचआई एण्ड पीई) एतद्वारा अधिसूचित करता है कि सभी सरकारी खरीद संस्थाओं द्वारा उपरोक्त अदेशानुसार घरेलू रूप से विनिर्मित ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव कलपुर्जों को प्राथमिकता दी जाएगी।

3. सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के अन्तर्गत निम्नलिखित ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव कलपुर्जों को अधिसूचित किया गया है:

### 3.1. आईसी इंजन आधारित ऑटोमोबाइल्स

परिभाषा:-

इस अधिसूचना के उद्देश्य हेतु ऑटोमोबाइल्स का तात्पर्य दुपहिया और तिपहिया वाहन, यात्री वाहन, व्यावसायिक वाहन आदि होगा।

घरेलू रूप से विनिर्मित के रूप में अहर्ता प्राप्त करने हेतु अपेक्षित स्थानीय सामग्री की प्रतिशतता	65%
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

### 3.2 आईसी इंजन वाहनों के लिए ऑटोमोटिव कलपुर्जे

परिभाषा:-

इस अधिसूचना के उद्देश्य हेतु, ऑटोमोटिव कलपुर्जों का तात्पर्य दुपहिया और तिपहिया वाहन, यात्री वाहन, व्यावसायिक वाहनों आदि के विनिर्माण/रख-रखाव हेतु जरूरी कलपुर्जे/पुर्जे होगा।

घरेलू रूप से विनिर्मित के रूप में अहर्ता प्राप्त करने हेतु अपेक्षित स्थानीय सामग्री की प्रतिशतता	60%
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

3.3 निम्नलिखित सामग्रियों में पर्याप्त स्थानीय क्षमता एवं स्थानीय प्रतिस्पर्धा है। जहाँ खरीद की अनुमानित लागत ₹ 50 लाख अथवा इससे कम है, तब ही इन सामग्रियों के लिए उपरोक्त पैरा के अनुसार न्यूनतम स्थानीय सामग्री के अध्यक्षीन केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ता ही पात्र होंगे।

(i)

क्रम सं.	आई सी इंजन आधारित ऑटोमोबाइल्स
1.	यात्री वाहन (यात्री कारें, यूटीलिटी वाहन, वैन)
2.	व्यावसायिक वाहन (एलसीवी, एम एवं एचसीवी)
3.	दुपहिया वाहन (मोपेड, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स)
4.	तिपहिया वाहन (सामान और यात्री)

(ii)

क्रम सं.	आईसी इंजन वाहनों हेतु ऑटोमोटिव कलपुर्जे
1.	रबर पार्ट्स
2.	एसबेस्टस पैकिंग ज्वाइंट्स और गास्केट्स
3.	ब्रेक लाइनिंग और पैड्स (एसबेस्टस युक्त)
4.	एसबेस्टस फ्रिक्शन सामग्री
5.	ब्रेक लाइनिंग और पैड्स (जिसमें एसबेस्टस न हों)
6.	ऑटोमोटिव ग्लास
7.	लीफ स्प्रिंग्स: मोटर वाहनों के लिए
8.	लीफ-स्प्रिंग्स: स्प्रिंग्स के लिए लीव्स

9.	हैलिकल स्प्रिंग्स
10.	स्प्रिंग्स पिन
11.	ऑटोमोटिव व्हील्स
12.	मोटर वाहनों के लिए प्रयोग होने वाले ताले
13.	सभी प्रकार के डीजल, पेट्रोल, हाइब्रिड इंजन और इंजन पार्ट्स।
14.	गैस कम्प्रेसर्स, ट्रबों चार्जर
15.	पार्ट्स – एयरकंडिशनिंग
16.	आन्तरिक दहन इंजनों हेतु ऑयल अथवा पेट्रोल फिल्टर
17.	आन्तरिक दहन इंजन हेतु इन्टेक एयर फिल्टर
18.	वायु शोधक (एयर प्यूरिफायर) अथवा क्लीनर्स
19.	मशीनरी पार्ट्स और फिल्टरिंग उपकरण
20.	सभी प्रकार के बियरिंग
21.	बॉल अथवा रोलर बियरिंग वाली बियरिंग हाउसिंग,
22.	बाल अथवा रोलर बियरिंग प्लेन शाफ्ट बियरिंग के बिना बियरिंग हाउसिंग
23.	टूथ व्हील्स के अलावा गियर और गियरिंग,, चैन स्प्रोकेट्स और अन्य ट्रांसमिशन एलिमेंट्स को अलग से प्रस्तुत किया गया है; बाल अथवा रोलर स्क्रू; गियर बॉक्स और अन्य स्पीड चेंजर. टॉर्क कनवर्टर सहित गियर बॉक्स और अन्य स्पीड चेन्जर्स
24.	पूली, पावर ट्रांसमिशन
25.	फ्लेक्सिबल कपलिंग
26.	फलूड कपलिंग
27.	अन्य: युनिवर्सल ज्वाइंट्स सहित कल्च और शाफ्ट कपलिंग,
28.	टूथ व्हील्स, चैन स्प्रोकेट्स और अन्य ट्रांसमिशन एलिमेंट्स को अलग से बताया गया है; पार्ट्स
29.	एस्बेस्टोज मेटालिक पैकिंग और गैसकेट्स (मेटल गेज अथवा तार से मेजबूत किए गए एस्बेस्टोज बोर्ड के गैसकेट के अलावा)
30.	मेकेनिकल सील
31.	स्पार्क प्लग
32.	हैड लैम्प्स, टेल लैम्प, स्टॉप लैम्प, साइड लैम्प और ब्लिंकर्स
33.	अन्य ऑटोमोबाइल लाइटिंग उपकरण और ऑटोमोटिव लाइटिंग
34.	हॉर्न
35.	विंडस्क्रीन वाइपर्स, डिफ्रोस्टर्स और डेमिस्टर्स
36.	सीलबंद बीम लैम्प यूनिटें
37.	इग्निशन वायरिंग सेट्स और वाहनों में उपयोग होने वाले अन्य वायरिंग सेट्स
38.	सुरक्षा सीट बेल्ट
39.	गियर बॉक्स और इसके कलपुर्जे

40.	अंतर के साथ ड्राइव-एक्सल, चाहे अन्य ट्रांसमिशन कलपुर्जों के साथ उपलब्ध है अथवा नहीं, नॉन-ड्राइविंग एक्सल, इसके अव्यय
41.	रोड व्हील्स और अव्यय तथा इसके सहायक कलपुर्जे
42.	मोटर वाहनों के लिए सस्पेंशन सिस्टम और इसके अव्यय (शॉक एब्जोर्बर सहित)
43.	रेडिएटर और इसके अव्यय
44.	साइलेंसर्स (मफलर्स) और एग्जास्ट पाइप, इसके अव्यय
45.	क्लच और इसके अव्यय (सिन्टर्ड फ्रिक्शन मेटिरियल-एसएफएम उत्पाद)
46.	स्टीयरिंग व्हील्स, स्टीयरिंग कॉलम और स्टीयरिंग बाक्स: इसके अव्यय
47.	टेकोमीटर्स, नॉन इलेक्ट्रिकल
48.	अन्य ऑप्टिकल यंत्र और उपकरण: अव्यय और सहायक पुर्जे
49.	इंस्ट्रूमेंट पेनल क्लॉक और वाहनों के लिए इसी प्रकार के क्लॉक
50.	मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली सीटें
51.	ऐसे मोटरों के इलेक्ट्रिकल अव्यय, वायरिंग हारनेस आदि
52.	सस्पेंशन और ब्रेकिंग पार्ट्स
53.	इंटरियर्स (नॉन इलेक्ट्रॉनिक)
54.	बॉडी तथा चेसिस अव्यय
55.	ड्राइव ट्रांसमिशन और स्टीयरिंग
56.	ऑटोमोटिव स्वीच, इंस्ट्रूमेंट पैनल

4. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू है और दिनांक 31.03.2019 के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी

5. संशोधित अधिसूचना जारी होने तक यह अधिसूचना वैध रहेगी।

### 6. स्थानीय सामग्री/घरेलू मूल्य वर्धन हेतु प्रक्रिया

6.1. घरेलू विनिर्माताओं से ली गई सामग्री के बिल की गणना उपलब्ध आकड़ों पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित में से एक के आधार पर की जाएगी। ऐसी प्रत्येक गणना का परिणाम समान होना चाहिए।

क. उत्पाद के लिए सभी इनपुट (जिन पर क्रेडिट/मुआवजा लिया जा सकता है, इनपुट की खरीद पर लगने वाले शुल्कों और करों सहित) और जिसे घरेलू ट्रेडर या बिचौलिए के माध्यम से अथवा सीधे आयातित नहीं किया गया है, की कुल लागत।

ख. वारंटी लागत के बिना उत्पाद का उत्पादन करने में (उनके अलावा जिन पर क्रेडिट/मुआवजा लिया जा सकता है, इनपुट की खरीद पर लगने वाले शुल्कों और करों सहित) इनपुट के रूप उपयोग की गई सामग्री (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से) के आयातित बिल के बिना कर के बाद लाभ के बिना उत्पाद का फैक्टरी बाद मूल्य।

ग. ब्रिक्री और विपणन व्यय घटा उत्पाद का उत्पादन करने में इनपुट के रूप में उपयोग की गई सामग्री (उनके अलावा जिन पर क्रेडिट/मुआवजा लिया जा सकता है, इनपुट की खरीद पर लगने वाले शुल्कों और करों सहित) के आयातित बिल घटा वारंटी लागत घटा कर के बाद लाभ घटा उत्पाद माल-भाड़ा बीमा और अन्य व्यवस्था लागत घटा कर बाजार मूल्य।

6.2. उपलब्ध आंकड़ों पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित में से एक के आधार पर सामग्री के कुल बिल (कुल - बीओएम) की गणना की जा सकती है। इन प्रत्येक गणनाओं का परिणाम समान होना चाहिए।

क. उत्पाद की जाने वाले सभी इनपुटों की कुल लागत (उनके अलावा जिन पर क्रेडिट/मुआवजा लिया जा सकता है, इनपुट की खरीद पर लगने वाले शुल्कों और करों सहित)।

ख. कर बाद लाभ घटा वारंटी लागत के बिना उत्पाद का फैक्टी बाद मूल्य।

ग. उत्पादन बाद माल-भाड़ा, बीमा और अन्य व्यवस्था लागत घटा कर बाद लाभ घटा वारंटी लागत घटा बिक्री एवं विपणन खर्च के बिना बाजार मूल्य।

6.3. निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर घरेलू मूल्य-वर्धन की प्रतिशतता की गणना की जा सकती है:

घरेलू मूल्य-वर्धन की प्रतिशतता (डीओएम- बीओएम/कुल-बीओएम) X 100

अनुशंसा की जाती है कि मूल्यांकन करने वाली प्रत्येक एजेंसी को उपर्युक्त फार्मूले के कम से कम दो का उपयोग करके घरेलू स्थानीय सामग्री/मूल्य-वर्धन की गणना करनी चाहिए ताकि इस संबंध में मूल्यांकन की पुष्टि की जा सके और यह सुनिश्चित हो कि दावा किया गया घरेलू मूल्य-वर्धन समान है।

### 7. स्थानीय सामग्री/घरेलू मूल्य-वर्धन का सत्यापन

क. निविदा, बोली अथवा सानुरोध याचना के साथ स्थानीय आपूर्तिकर्ता स्व-प्रमाणन उपलब्ध कराएंगे कि उपलब्ध कराए गए सामान में स्थानीय सामग्री है और उन स्थलों को ब्यौरे देंगे जहाँ पर स्थानीय मूल्य-वर्धन किया गया है।

ख. ₹ 10 करोड़ के अधिक के मूल्य की खरीद के मामलों में, स्थानीय आपूर्तिकर्ता स्थानीय सामग्री की प्रतिशतता बताते हुए सांविधिक लेखा परीक्षक अथवा कंपनी के लागत लेखा-परीक्षक (कंपनियों के मामले में) अथवा कोस्ट एकाउंटेंट अथवा पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट (कंपनियों के अलावा आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में) से एक प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएंगे।

ग. झूठी घोषणा सामान्य वित्त नियमों के नियम 175(1) (i) (च) के तहत सत्यनिष्ठा संहिता को भंग करना होगा, जिसके लिए बोलीकर्ता अथवा उसके उत्तराधिकारी को, जैसाकि विधि के तहत अनुमत है, ऐसी अन्य कार्रवाई के साथ सामान्य वित्त नियमों के नियम 15 (iii) के अनुसार दो वर्षों तक के लिए निषेध किया जा सकता है।

8. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ऑटोमोटिव उत्पाद अधिसूचना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए नोडल मंत्रालय होगा।

[फा. सं. 12 (39)/2018 – ईआई (15446)]

विश्वजीत सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2018

S.O. 5807.—Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017- Notifying Automobile and Automotive Components in furtherance of the Order

Reference: Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) Notification No.P-45021/2/2017-B.E.-II dated 15.06.2017

The Government has issued Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 vide the Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) Notification No.P-45021/2/2017-B.E.-II dated 15.06.2017 to encourage 'Make in India' and to promote manufacturing and production of goods and services in India with a view to enhancing income and employment.

2. In furtherance of the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 notified vide reference cited above, the Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises (HI&PE) hereby notifies that preference shall be provided by all Government Procuring Entities to domestically manufactured Automobile and Automotive Components as per the aforesaid Order.

3. Following Automobile and Automotive Components are notified under the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017:

### 3.1. Automobiles based on IC Engines

Definition:

For the purpose of this Notification, Automobiles would mean two & three wheelers, passenger vehicles, commercial vehicles etc.

<b>Percentage Local Content required to qualify as domestically manufactured</b>	<b>65%</b>
----------------------------------------------------------------------------------	------------

### 3.2. Automotive Components for IC Engine Vehicles

Definition:

For the purpose of this Notification, Automotive Components would mean components/spares required for manufacture/maintenance of two & three wheelers, passenger vehicles, commercial vehicles etc.

<b>Percentage Local Content required to qualify as domestically manufactured</b>	<b>60%</b>
----------------------------------------------------------------------------------	------------

3.3 There is sufficient local capacity & local competition in the following items. Where the estimated value of procurement is Rs.50 lakh or less, then only local suppliers shall be eligible subject to meeting minimum local content as per above paras for these items.

(i)

S. No.	Automobiles based on IC Engines
1	Passenger Vehicles (passenger cars, utility vehicles, vans)
2	Commercial vehicles (LCVs, M&HCVs)
3	Two-wheelers (Mopeds, Scooters, Motorcycles)
4	Three-wheeler (Goods & Passengers)

(ii)

S. No.	Automotive Components for IC Engine Vehicles
1	Rubber Parts
2	Asbestos packing joints and gaskets
3	Brake Linings And Pads (Containing Asbestos)
4	Asbestos friction materials
5	Brake linings and pads (Not containing Asbestos)
6	Automotive Glass
7	Leaf-springs : For motor vehicles
8	Leaf-springs : Leaves for springs
9	Helical springs
10	Spring pins

11	Automotive Wheels
12	Locks of a kind used for motor vehicles
13	All types of diesel, petrol, Hybrid engine and engine parts
14	Gas compressors, Turbo charger
15	Parts - air conditioning
16	Oil or petrol-filters for internal combustion engines
17	Intake air filters for internal combustion engines
18	Air Purifiers or Cleaners
19	Parts of Machinery and apparatus for filtering
20	All kind of bearings
21	Bearing housings, incorporating ball or roller bearings
22	Bearing housings, not incorporating ball or roller bearings plain shaft bearings
23	Gears and gearing, other than toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters
24	Pulleys, power transmission
25	Flexible coupling
26	Fluid coupling
27	Other: Clutches and Shaft couplings, including Universal joints
28	Toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately; parts
29	Asbestos metallic packings and gaskets (excluding gaskets of asbestos board reinforced with metal gauze or wire)
30	Mechanical seals
31	Spark plugs
32	Head lamps, tail lamps, stop lamps, side lamps and blinkers
33	Other automobile lighting equipment & Automotive Lighting
34	Horns
35	Windscreen wipers, defrosters and demisters
36	Sealed beam lamp units
37	Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles
38	Safety seat belts
39	Gear boxes and parts thereof
40	Drive-axles with differential, whether or not provided with other transmission components, non-driving axles; parts thereof
41	Road wheels and parts and accessories thereof
42	Suspension systems and parts thereof (including shock absorbers) for motor vehicles
43	Radiators and parts thereof
44	Silencers (mufflers) and exhaust pipes; parts thereof
45	Clutches and parts thereof (Sintered Friction materials-SFM products)
46	Steering wheels, steering columns and steering boxes; parts thereof
47	Tachometers, non-electrical
48	Other optical instruments and appliances :Parts and accessories (Measuring & Checking Instruments - Sensors)
49	Instrument Panel Clocks and Clocks of a similar type for vehicles
50	Seats of a kind used for motor vehicles
51	Electrical Parts such motors, wiring harness, etc.
52	Suspension & Braking parts
53	Interiors (non-electronic)
54	Body and chassis parts
55	Drive Transmission & Steering
56	Automotive Switches, Instrument panels

4. The Notification comes into effect immediately and would be reviewed after 31-03-2019.

5. This Notification shall remain valid till the revised Notification is issued.

**6. Procedure for calculating local content/ domestic value addition**

6.1 Bill of Material sourced from domestic manufacturers (Dom-BOM) may be calculated based on one of the followings depending on data available. Each of these calculations should provide consistent result.

a. Sum of the costs of all inputs which go into the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit/ set-off can be taken) and which have not been imported directly or through a domestic trader or an intermediary.

b. Ex-Factory Price of product minus profit after tax minus sum of imported Bill of Material used (directly or indirectly) as inputs in producing the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit/ set-off can be taken) minus warranty costs.

c. Market price minus post-production freight, insurance and other handling costs minus profit after tax minus warranty costs minus sum of Imported Bill of Material used as inputs in producing the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit / set-off can be taken) minus sales and marketing expenses.

6.2 Total Bill of Material (Total-BOM) may be calculated based on one of the following depending on data available. Each of these calculations should provide consistent result.

a. Sum of the costs of all inputs which go into the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit / set-off can be taken).

b. Ex-Factory Price of product minus profit after tax, minus warranty costs.

c. Market price minus post-production freight, insurance and other handling costs minus profit after tax, minus warranty costs minus sales and marketing expenses.

6.3 The percentage of domestic value-addition may be calculated based on information furnished as per the following formula:

$$\text{Percentage of domestic value-addition} = (\text{Dom-BOM}/\text{Total-BOM}) \times 100$$

It is recommended that each agency assessing should calculate the domestic local content/value-addition using at least two of the above formulae so as to validate the assessments in this regard and ensure that the domestic value addition that is claimed is consistent.

#### 7. Verification of local content/ Domestic Value Addition

a. The local supplier at the time of tender, bidding or solicitation shall provide self-certification that the item offered meets the minimum local content and shall give details of the location(s) at which the local value addition is made.

b. In cases of procurement for a value in excess of Rs.10 crore, the local supplier shall provide a certificate from the statutory auditor or cost auditor of the company (in the case of companies) or from a practising cost accountant or practising chartered accountant (in respect of suppliers other than companies) giving the percentage of local content.

c. False declarations will be in breach of the Code of Integrity under Rule 175(1)(i)(h) of the General Financial Rules for which a bidder or its successors can be debarred for up to two years as per Rule 151 (iii) of the General Financial Rules along with such other actions as may be permissible under law.

8. MoHI&PE shall be the Nodal Ministry to monitor the implementation of the Automotive Products Notification.

[F. No. 12(39)/2018-AEI(15446)]

VISHVAJIT SAHAY, Jt. Secy.